

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे० कुल भूमि 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बड़ोतरी की जाती हैं तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर (चमाला)


अधीनस्थ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
खत्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
खत्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमाला)